

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक प.2(14)खान/ग्रुप-1/2001

जयपुर, दिनांक: यथाहस्ताक्षर।

आदेश

खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधीक्षण भूवैज्ञानिक पद की दिनांक 01.04.2025 की स्थिति दर्शाते हुए अस्थाई वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार से निर्धारित कर जारी की जाती है। इस वरिष्ठता सूची में यदि किसी अधिकारी को आपत्ति आदि हो तो सूची जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में अपना अभ्यावेदन इस विभाग को प्रस्तुत करे, अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी:-

क्र. सं.	कार्मिक पहचान संख्या (Employee ID)	नाम अधिकारी	श्रेणी	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	योग्यता
1.	RJAJ199601021012	श्री गोपालराम	अ.जा.	05.08.1967	2014-15	M.Sc. Geology
2.	RJJP199619027451	श्री सुनील कुमार	अ.जा.	08.06.1971	2018-19	M.Sc. Geology
3.	RJBI199009003644	श्री जी.एस.शेखावत	सामान्य	01.07.1965	2019-20	M.Sc. B.Ed.
4.	RJJO199324006267	श्री संजय दुबे	सामान्य	13.06.1967	2019-20	M.Sc Geology
5.	RJJO199324010744	श्री त्रिलोक शंकर शर्मा	सामान्य	27.11.1967	2019-20	M.Sc, M.Sc. Tech., Ph.D.
6.	RJJP199319008378	श्री दिलीपराज शर्मा	सामान्य	29.05.1968	2020-21	M.Sc Geology
7.	RJJS199620022140	श्री राजीव कश्यप	सामान्य	20.12.1973	2021-22	M.Sc. Geology
8.	RJBI1996099004443	श्री संजय गोस्वामी	सामान्य	30.04.1971	2021-22	M.Sc. Geology
9.	RJAJ199601021011	श्री हरिसिंह नाथावत	सामान्य	06.04.1973	2022-23	M.Sc. Geology
10.	RJUD199737024716	श्री संजय सक्सेना	सामान्य	15.02.1968	2022-23	M.Sc Geology

उक्त वरिष्ठता सूची लम्बित न्यायिक वाद यदि कोई हो, के अंतिम निर्णय के अधधीन परिवर्तनशील होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आशु चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें तथा सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर पर वितरित कराये जाने का श्रम करें।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव